संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 1175 / स्था / नग्रानि / 2014 भोपाल, दिनांक 4-3-14

/ / कार्यालयीन आदेश / /

मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 30.6.2013 को जारी विज्ञापन के तारतम्य में व्यापम द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर चयनित अभ्यार्थी को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संविदा सेवा (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) भरती नियम 2013 में निहित प्रावधान के अंतर्गत संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के आदेश क्रमांक 1141 / स्था / नग्रानि / 2013, दिनांक 4.3.2014 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित संविदा वेतन पर तथा नीचे अंकित संविदा की शर्तो पर प्रथमतः 2 वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	नाम	पदनाम	जाति	वेतन प्रत्येक माह	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1.	कु0 स्वाती बोरासी	कम्प्यूटर आपरेटर	अनुसूचित जाति	रू10,000 / –	बुरहानपुर	जिला कार्या. खंडवा
2.	श्री दिनेश प्रजापति	कम्प्यूटर आपरेटर	अनुसूचित जाति	रू10,000 / –	छतरपुर	जिला कार्या सागर
3.	कु0 अंकिता सिंह	कम्प्यूटर आपरेटर	सामान्य	रू10,000 / –	रीवा	जिला कार्या रीवा
4.	कु0 दीप्ती रंझारे	कम्प्यूटर आपरेटर	सामान्य	रू10,000 / –	भोपाल	मुख्यालय भोपाल
5.	कु0 वैशाली थोरट	कम्प्यूटर आपरेटर	सामान्य	रू10,000 / –	इंदौर	जिला कार्या इंदौर
6.	श्री अमित सराठे	कम्प्यूटर आपरेटर	अन्य पिछड़ा वर्ग	रू10,000 / –	होशंगाबाद	जिला कार्या. जबलपुर
7.	कु0 प्रीति राय	कम्प्यूटर आपरेटर	अन्य पिछड़ा वर्ग	रू10,000 / –	होशंगाबाद	जिला कार्या ग्वालियर
8.	श्री जय पटाडे	कम्प्यूटर आपरेटर	सामान्य	रू10,000 / –	होशंगाबाद	जिला कार्या शहडोल
9.	कु0 रश्मि चौरसिया	कम्प्यूटर आपरेटर	अन्य पिछड़ा वर्ग	रू10,000 / –	छतरपुर	मुख्यालय भोपाल

संविदा सेवा की शर्ते

1. संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी की सेवा की कालावधि 2 वर्ष होगी। संविदा सेवा के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात संविदा सेवा की कालावधि में वृद्धि का निर्णय नियंत्रणकर्ता अधिकारी की सिफारिश ओर रिर्पोट पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

ABD-Order-4

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध लागू होगे। इन नियमो अवहेलना होने अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
3. संविदा सेवा पर नियुक्त सेवा के सदस्यों को, संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा संचालक द्वारा नियत की गई दरों पर मासिक आधार पर संविदा वेतन का भुगतान किया जायेगा, परन्तु उन दिनों के लिये संविदा वेतन का भुगतान नही किया जायेगा, जिनको कि सदस्य, कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो।
4. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपये (पचास रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करेंगा। अनुबंध के निष्पादन पर उपगत होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। करारनामे की छायाप्रति संलग्न है।
5. किसी व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।
6. संविदा अधिकारी/कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न होने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त कर देगें।
7. संविदा के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय पदधारी को शासकीय जिला चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड/ सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा उपर्युक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उसकी संविदा सेवा की कालावधि के लिये पेंशन प्रसुविधाओं (लाभों) का हकदार नही होगा।
9. संविदा का पदधारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण का हकदार नही होगा, किन्तु वह प्रचलित भरती नियमों के अंतर्गत सीधी भरती के पदों पर आवेदन कर सकेगा।
10. संविदा नियुक्ति, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के संविदा वेतन का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकेगी।
11. इन नियमो के अंतर्गत नियुक्त किये गये व्यक्ति गृह भाड़ा भत्ता या किसी अन्य भत्तों के हकदार नही होगे।
12. एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें।

13. महिला संविदा पदधारियों को जिनकी 2 या 2 से कम जीवित संतान हो, अधिकतम 90 दिन के प्रसुति अवकाश की पात्रता होगी। संबंधित कार्यालयों प्रमुखों उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
14. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के समान पदो के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
15. चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता नही होगी।

आयुक्त सह संचालक द्वारा आदेशित

उप संचालक(स्था.)
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक / 1176 / स्था / नग्रानि / 2014 भोपाल, दिनांक 4-3-14

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ । कुमारी स्वाती बोरासी, श्री दिनेश प्रजापति की नियुक्ति अनुसूचित जाति के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं श्री अमित सराठे, कुमारी प्रीति राय, कुमारी रश्मि चौरसिया की नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है, उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
2. जिलाध्यक्ष, जिला खंडवा की ओर सूचनार्थ। कुमारी स्वाती बोरासी की नियुक्ति अनुसूचित जाति के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
3. जिलाध्यक्ष, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ। श्री दिनेश प्रजापति की नियुक्ति अनुसूचित जाति के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
4. जिलाध्यक्ष, जिला होशंगाबाद. की ओर सूचनार्थ। श्री अमित सराठे, कु. प्रीति राय की नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।
5. जिलाध्यक्ष, जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ। कुमारी रश्मि चौरसिया की नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया इसकी जांच कर पुष्टि करने का कष्ट करें।

6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, रीवा,सागर, जबलपुर,ग्वालियर को सूचनार्थ।
7. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खंडवा, शहडोल को सूचनार्थ।
8. कुमारी स्वाती बोरासी, निरारा 126, ई टाईप नेपानगर बुरहानपुर पिन कोड नं. 450221
9. श्री दिनेश प्रजापति, किशोरीलाल प्रजापति, 30 कांती मोहल्ला, वार्ड नंबर 10 लवकुश नगर, छतरपुर पिन कोड नं 471515
10. कु0 अंकिता एल.आई.जी 2/21/422, नेहरूनगर हुजूर रीवा पिन कोड नं 486001
11. कु. दीप्ती रंझारे, डी–100, आकाश नगर, राजवेद कालोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल पिन कोड नं.–462042।
12. कु0 वैशाली थोरट 119/121 सुयेश बिहार डाक्टर्स नगर कालोनी नियर नंदानगर, इंदौर। पिन कोड नं 452001
13. श्री अमित सराठे, पुराना बाजार, शिवाजी वार्ड वनखेडी, होशंगाबाद पिन कोड नं 461990
14. कुमारी प्रीति राय, रानीरा राममंदिर वनखेडी, होशंगाबाद, पिन कोड नं 461990
15. श्री जय पटाडे, आर.बी.2, 413/सी, आजाद नगर, न्यू यार्ड, इटारसी, पिन कोड नं 461115.
16. कु0 रश्मि चौरसिया, 100 बडी देवी मोहल्ला, झारी मलेरा, छतरपुर पिन कोड नं 471411
17. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय, भोपाल।
18. व्यक्तिगत नस्ती।
19. रोस्टर लिपिक।

उप संचालक(स्था.)
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

उपाबंध

(देखिए नियम 10 (1))

करार का प्रारूप

यह, करार एक पक्ष के रूप में...पुत्र/पत्नी/पुत्री/ ....आयु..... निवासी................................(जो इसमें, इसके पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में निर्दिष्ट है) और द्वितीय पक्ष के रूप में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. (जो इसमें, इसके पश्चात् नियोजक के रूप में निर्दिष्ट है) के मध्य दिनांक ....को किया गया है।

यतः नियोजक ने म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश.......................संविदा आधार पर सेवा की शर्ते नियम 2012 के अधीन आदेश क्र............दिनांक ....द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश/जिला कार्यालय.........................के लिए संविदा आधार पर अधिकारी/कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है और संविदा अधिकारी/कर्मचारी उक्त पद संविदा नियुक्ति के लिए सहमत है।

पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति है:–

1. दोनो पक्ष उक्त नियमों से अबद्व होगें और अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त किसी उपबंध का भंग कदाचार माना जावेगा।
2. अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जावेगा और मासिक संविदा रकम का भुगतान उस तारीख से किया जावेगा।
3. इस संविदा के संबंध में किसी विवाद की दशा में केवल स्थानीय सीमाओं के स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी।
4. किसी कदाचार या किसी अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दें।

इसके साक्ष्य स्वरूप इनके पक्षों में इस करार पर उनके हस्ताक्षर के सामने क्रमशः उल्लिखित तारीख तथा वर्ष पर हस्ताक्षर किये।

साक्षी

(एक) हस्ताक्षर.................................
नाम
पता

(दो) हस्ताक्षर.................................
नाम
पद

पक्ष

(एक) हस्ताक्षर..........................
नाम
पता

(दो) हस्ताक्षर.........................
नाम
पद